[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं 26/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख, 28 जून, 2019

सा.का.नि......(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना -

क) संख्या सा.का.नि. 1150 (अ) तारीख 29 नवंबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 66/2018 केंद्रीय कर, तारीख 29 नवंबर, 2018;

ख) संख्या सा.का.नि. 101 (अ) तारीख 8 फरवरी, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2019 केंद्रीय कर, तारीख 8 फरवरी, 2019;

ग) संख्या सा.का.नि. 301 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 18/2019 केंद्रीय कर, तारीख 10 अप्रैल, 2019,

उन बातों के सिवाय जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को अधिक्रांत करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अक्टूबर, 2018 से जुलाई, 2019 के महीनों के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररुप जीएसटी-7** मे, विवरणी की समय-सीमा का विस्तार अगस्त, 2019 के 31वें दिन तक किया जाता है।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी(**भाग** –I)]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार